भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2734

(दिनांक 07.08.2024 को उत्तर के लिए)

पदों का भरा जाना

2734. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्वायत्त निकायों सहित सभी मंत्रालयों में समूह क, ख, ग, घ जैसी सरकारी नौकरियों के सभी पदों को पिछले कई वर्षों से नहीं भरा गया है जबकि इन पदों को संविदा अथवा जीईएम पोर्टल के माध्यम से ही नियमित आधार पर नहीं बल्कि केवल तीन से पांच वर्षों के लिए भरा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;
(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्व में इन सभी पदों पर नियुक्तियां प्रतिवर्ष की जाती थीं;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सभी स्वायत्त निकायों सहित सरकार के सभी समूहों में कितने कर्मचारी/अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के अनुपात में युवाओं की नियुक्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और उनका प्रतिशत कितना है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): केंद्र सरकार में किसी विशेष पद के भर्ती नियमों के अनुसार पदों का भरा जाना, संबंधित मंत्रालय/विभाग का उत्तरदायित्व है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। स्वायत्तशासी निकायों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण उत्पन्न होती हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को रिक्त पदों को समयबद्ध रूप से भरने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कार्मिकों के संबंध में विवरण, संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा रखा जाता है।